2105
17-1-18

दूरभाष – 05278.245957

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0/रा0से0यो0/ 1951/2018–19 दिनांक 17/10/2018

सेवा में

प्राचार्य/प्रचार्या
राष्ट्रीय सेवा योजना
डा0 राममनोहर लाहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषयः– मतदाता सूची पुनरीक्षण किये जाने हेतु पाठशाला आयोजित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

कृपया संलग्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या2205/सीईओ–4–19/4–2018 दिनांक 04/10/2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संलग्न पत्र में मतदाता सूचियों 01/01/2019 के आधार पर वर्तमान में चल रहे विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दिव्यांग मतदाताओं का संबधित सूची में पंजीकरण के लिए विशेष कैम्प आयोजित किया जाना है।

कैम्प ऐसे स्थान पर आयोजित कियें जाये जहाँ पर दिव्यांगी को आने जाने में असुविधा न हो । मतदाता सूची मे दर्ज दिव्यांग मतदाताओं का उनकी दिव्यांगता की श्रेर्णी के साथ चिन्हांकन किया जाये तथा मतदाता के दिन उन्हें आवश्यक सुविधा भी प्रदान की जायें।

संलग्नक उक्तवत

भवदीय

डा0 समीर सिन्हा
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित

1:– निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ।

2:– ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करनें का कष्ट करें।

डा0 समीर सिन्हा
कार्यक्रम समन्वयक

ई–मेल / स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ–226001

संख्या--2205 / सीईओ--4–19 / 4--2018 लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2018

430
10/10/18

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

320
12/10/18

विषयः **Special Summary Revision of Photo Electoral Roll of intensive nature w.r.t. 01.01.2019 as qualifying date- Cluster Registration ans Special Camp for Person with Disability- reg.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, दिनांक 03.10.2018 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहना है कि आयोग ने अर्हता दिनांक 01.01.2019 के आधार पर वर्तमान में चल रहे विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दिव्यांग मतदाताओं का संबंधित मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए विशेष कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश दिये है।

3– इस संबंध में यह निर्देशित किया है कि उक्त आयोजित कैम्प ऐसे स्थानों (Schools for Blinds, Schools for Deaf and Dumb, Leprosy Centres etc.) पर लगाये जायें जहॉ वे बिना किसी रूकावट आसानी पहुँचकर मतदाता सूची का निरीक्षण कर दावे और आपत्तियॉ दे सकें। उक्त आयोजित विशेष कैंप के लिए आवश्यक विशेष व्यवस्थायें भी कराये जायें तथा आयोजन से पूर्व स्थान एवं दिनांक का प्रचार भी कराया जाये।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि मतदाता सूची में दर्ज दिव्यांग मतदाताओं का उनकी दिव्यांगता की श्रेणी के साथ चिन्हांकन किया जाय तथा मतदान के दिन उनको आवश्यक सुविधायें भी प्रदान की जाये।

अतः कृपया आयोग के संलग्न निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(डा0 अलका वर्मा)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः 2205(1) / सीईओ–4, तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अलका वर्मा)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Coord NSS
11/10/18
4/10/18
D.D.E.O.